



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

कमॉक - RS/2/2017/MCOL1/DEOTH/RU-IV

दिनांक 26 फरवरी 2018

प्रति,

महाप्रबंधक,
वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड,
पेंच एरिया, तहसील परासिया,
जिला छिन्दवाडा, म. प्र.


विषय :- वेस्टर्न कोल फील्ड पेंच क्षेत्र परासिया के अंतर्गत धनकशा भूमिगत कोयला खदान के लिये अधिग्रहित भूमि के किसानों को मुआवजा एवं नौकरी प्रदान करने के संबंध में

विषयांकित आयोग के पत्र फाईल संख्या RS/2/2017/MCOL1/DEOTH/RU-IV दिनांक 11/07/2017 के परिपालन में कोल इंडिया द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2017 को आयोग को उत्तर प्राप्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में प्रभावित अनुसूचित जनजाति के किसानों द्वारा बार-बार आयोग से शीघ्र कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया है। अतएव आयोग की उपाध्यक्ष महोदया, सुश्री अनुसुईया उइके दिनांक 28 फरवरी 2018 दोपहर 1400 बजे सर्किट हाउस, छिन्दवाडा में इस प्रकरण की वस्तुस्थिति के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहती हैं।

आपसे अनुरोध है कि इस प्रकरण की अद्यतन स्थिति के साथ चर्चा हेतु इस प्रकरण को संधारित करने वाले सहायक अधिकारी के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,


(डी. एस. कुंभारे) 26/2/2018
अवर सचिव

1448-50
26/2/18


प्रतिलिपि :-

- 1) अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2) श्री राजकुमार सूर्यवंशी, धनकशा संघर्ष समिति, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाडा कृपया उक्तानुसार बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

O/c